प्रेस नोट

थाना टोड़ी फतेहपुर, झाँसी

दिनांक – 20.08.2025

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक,झाँसी परिक्षेत्र झाँसी द्वारा घटना के सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 50,000/-रु0 ईनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।

- **स्वाट,सर्वेलन्स एवं थाना टोड़ीफतेहपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ब्लाइन्ड मर्डर का सफल अनावरण करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।**
- **घटना में शामिल 02 अभियुक्तण गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त इण्डिका कार बरामद**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 20.08.2025 को थाना टोड़ी-फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-87/2025 धारा 103(1)/238ए बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. संजय पटेल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम महेवा थाना टोड़फतेहपुर, झाँसी- 2. संदीप पटेल पुत्र संतराम ग्राम महेवा थाना टोड़ीफतेहपुर, झाँसी को थाना टोड़ीफतेहपुर क्षेत्र के लखेरी बांध के पास से गिरफ्तार किया गया। हत्या की घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम- पसौरा थाना गरौठा, झाँसी की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.08.2025 को थाना टोड़ीफतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम किशोरपुरा के पास खेत में बने कुएं में एक अज्ञात महिला का शव छत-विक्षत अवस्था में शव मिला था। शव की शिनाख्त हेतु पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया गया, जिसके क्रम में मृतक महिला की शिनाख्त रचना यादव पुत्री भारत यादव उम्र करीब-35 वर्ष निवासी ग्राम मैलवारा थाना चंदेरा जनपद टीकमगढ़ म0प्र0 के रुप में हुई।

घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये थाना टोड़ी-फतेहपुर में सुसगंत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुये स्वाट,सर्वेलन्स सहित 08 पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा इसके अलावा 10 टीमों का गठन कर वृहद स्तर पर पतारसी सुरागरसी हेतु लगाया गया था। विवेचना के क्रम में घटनास्थल से भौतिक/तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करते हुये प्राप्त सीसीटीवी फुटेज एवं विभिन्न कॉल डिटेल का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया, जिसके फलस्वरूप 03 अभियुक्तगण 1. संजय पटेल पुत्र रामस्वरूप

निवासी ग्राम महेवा थाना टोड़ीफतेहपुर, झाँसी- 2. संदीप पटेल पुत्र संतराम ग्राम महेवा थाना टोड़ीफतेहपुर 3. प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम- पसौरा थाना गरौठा, झाँसी प्रकाश में आये। प्रकाश में आये 02 अभियुक्त संजय पटेल एवं संदीप पटेल निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। शेष एक अभियुक्त प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त संजय सिंह उर्फ संजू ने पूछताछ में बताया कि मेरा रचना यादव से पिछले 02 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था, रचना मुझसे शादी का दबाव बना रही थी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, मेरे कई बार मना करने के बाद वह मान नही रही थी, जिसके बाद हमने उसे रास्ते से हटानी की योजना बनाई। दिनांक 09/10.08.2025 की रात्रि में हमने अपने 02 साथियों संदीप पटेल एवं प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार के साथ मिलकर ग्राम किशोरपुरा कुएं के पास फरसा से काट कर हत्या कर दी थी तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से सिर व पैर को बोरी मे भरकर रेवन नदी में डाल दिया था तथा शरीर के दो हिस्से व दोनों हाथो को अलग अलग बोरियो में भरकर विनोद पटेल के कुँए में डाल कर भाग गये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –</u>

1. संजय पटेल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम महेवा थाना टोड़ीफतेहपुर, जनपद झाँसी।
2. संदीप पटेल पुत्र संतराम निवासी ग्राम महेवा थाना टोड़ीफतेहपुर, जनपद झाँसी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –</u>

1.सजय सिंह उर्फ संजू पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम महेवा थाना टोडीफतेहपुर जनपद झाँसी।

1.मु0अ0सं0 87/2025 धारा 103(1)/238(ए) बीएनएस थाना टोडीफेतहपुर जनपद झाँसी।
2.मु0अ0सं0 36/2025 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस थाना टोडीफेतहपुर जनपद झाँसी
3.मु0अ0सं0 धारा 101/2022 3(2)(Va) SC/ST Act 323,504,506 IPC थाना टोडीफेतहपुर जनपद झाँसी

<u>2.संदीप पटेल पुत्र संतराम -</u>

1.मु0अ0सं0 87/2025 धारा 103(1)/238(ए) बीएनएस थाना टोडीफेतहपुर जनपद झाँसी।
2.मु0अ0सं0 124/2022 धारा 302 IPC थाना टोडीफेतहपुर जनपद झाँसी।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. थाना प्रभारी टोड़ीफतेहपुर मय पुलिस।
2. प्रभारी स्वाट मय टीम।
3. प्रभारी सर्वेलन्स मय टीम।